



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:-ग्रामीण सेवा शिविर-2025


ग्रामीण सेवा शिविर-2025

--: आदेश :-

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- ... नवाघरा ..... व भू - अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- .... कानपुर ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशांषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- नवाघरा .....

..... पटवार मण्डल- .... नवाघरा ..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की जमाबन्दी संवत्- .....2075-2078..... में खाता संख्या- 175 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
नवाघरा	175	समरथ सिंह पुत्र पदम सिंह	समरत सिंह पुत्र पदमसिंह


  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा अधिकारी  
जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025/04/2025/1819-1826

दिनांक :-08.10.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख हैं कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी ..... समरत सिंह पिता पदमसिंह ..... सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा अधिकारी  
जिला - उदयपुर (राज.)